न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 01/2020-21

सुषमा देवी पति श्री राजकुमार साहु – अपीलकर्त्ता
ग्राम–सुन्दारी, थाना–तोरपा, जिला–खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, तोरपा। – विपक्षी

आदेष का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
22.12.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–128R27/19-20 में अंचल अधिकारी, तोरपा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–	

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
सोनपुरगढ़	तोरपा 29	13	356	0.10

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, तोरपा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा। आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदक ने उक्त भूमि रसमनी देवी पति स्व0 सुरेन सिंह ग्राम सोनपुरगढ़ थाना तोरपा से रजिस्ट्री पट्टा सं0 1316/1294 दिनांक 05.09. 2019 के द्वारा क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, तोरपा के प्रतिवेदन अनुसार आवेदन में दस्तावेज तिथि गलत दर्ज करने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता ने बहस दौरान बताया कि आवेदक ने उक्त भूमि को रजिस्ट्री पट्टा सं0 1316/1294 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा क्रय किया है। ऑनलाईन करते समय दस्तावेज तिथि गलत दर्ज हो गया है। अंत में अपील स्वीकार करने की प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया एवं पाया की आवेदक द्वारा उक्त भूमि को रजिस्ट्री पट्टा सं0 1316/1294 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा क्रय किया है। अंचल अधिकारी, तोरपा को **Remand** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः आवेदन प्राप्त करते हुए नामांतरण हेतु न्यायसंगत कार्रवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

22/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

22/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।